रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2006/ज्येष्ठ 19, 1928 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 059
No. 96] DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2006/JYAISTHA 19, 1928 [N.C.T.D. No. 059

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2006

सं. फा. 19/(183)/परि./सचि./2005/232.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. फा. 19(183)/परि./सचि./05/1488 के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात पर संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्रों में विशेष रूप से यातायात के व्यस्त समय (पीक ऑवर) के दौरान माल वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना आम जनता की सुविधा तथा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक है एतद्द्वारा रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर समस्त दिनों में प्रात: 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा सायं 5.30 बजे से 8.00 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समस्त सड़कों/क्षेत्रों में तिपहिए हल्के माल वाहनों के चलाए जाने का निषेध करते हैं।

उपरोक्त प्रतिबन्ध उन तिपहिए हल्के माल वाहनों पर लागू नहीं होगा जो सरकारी विभागों/उपक्रमों से संबंधित/संलग्न हो तथा जो अनिवार्य वस्तुओं जैसे पानी, दूध तथा दुग्ध उत्पाद, दवा, आक्सीजन तथा अन्य विनिर्दिष्ट पदार्थ जैसे कूड़े को अनिवार्यता/प्राथमिकता के आधार पर वहन किए जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एन. बालाचन्द्रन, विशेष आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2006

No. F. 19/(183)/Tpt./Sectt./2005/232.—In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this Government's notification No. F. 19(183)/

Tpt./Sectt./05/1488, dated the 29th December, 2005, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public to regulate movement of goods vehicles in Delhi/New Delhi areas particularly during peak hours of traffic, hereby, prohibits the driving of three-wheeler light goods vehicles on all the roads/areas of NCT of Delhi during the hours from 8.00 a.m. to 11.00 a.m. and 5.30 p.m. to 8.00 p.m. on all days except Sundays and National holidays.

The above restrictions shall not be applicable to the three-wheeler light goods vehicles belonging/attached to Government Departments/undertakings and those carrying essential commodities like water, milk and milk products, medicines, oxygen, and other specified material such as garbage which need to be transported on emergent/priority basis.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

N. BALACHANDRAN, Spl. Commissioner

राज्य निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2006

सं. एस.ई.सी. /एम.सी.डी. /बाई.-इलै. /2006 /2390.—अधिसूचनासं. एस.ई.सी./एम.सी.डी./बाई.-इलै./2006/2347 दिनांक 7-6-2006 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, एस. पी. मर्वाह, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से परामर्श करके निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित अधिकारी के स्थान पर कॉलम 3 में उल्लिखित अधिकारी को दिल्ली नगर निगम के निकट भविष्य में होने वाले वार्ड 20-सुभाष नगर वार्ड के उपचुनाव हेतु मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में ऐसे नियुक्त अधिकारी को दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 1970 के नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उपरोक्त वार्ड के लिए रिटर्निंग अधिकारी व जाँच अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है :—

क्रम संख्या	पूर्व मतदाता पंजीकरण अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी व जाँच अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	वर्तमान मतदाता पंजीकरण अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी व जाँच अधिकारी का नाम, पदनाम व पता जिसे कॉलम सं. 2 में दर्शाए गए अधिकारी के एवज में अब नियुक्त किया गया है	दिल्ली नगर निगम के वार्ड की संख्या व नाम
1	2	3	4
1.	श्री आर. टी. एल. डी 'सूजा' उप-सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, छटा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली फोन : 23392108 (कार्यालय)	श्री पी. सी. चतुर्वेदी उपायुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 फोन : 23933829, 23980166 (कार्यालय)	20-सुभाष नगर

एस. पी. मर्वाह, आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2006

No. SEC/MCD/Bye-Election/2006/2390.—In partial modification of the Notification No. SEC/MCD/Bye-Election/2006/2347 dated 7-6-2006, I, S. P. Marwah, State Election Commissioner of NCT of Delhi in exercise of the powers conferred on me under Section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, hereby appoint, in consultation with the Government

of NCT of Delhi, the Officer shown in column No. 3 as Electoral Registration Officer in place of the officer mentioned at column No. 2 of the table below for 20-Subhash Nagar Ward of the Municipal Corporation of Delhi in connection with the ensuing bye-election to the said 20-Subhash Nagar Ward, to be held in the near future. The Officer so appointed as Electoral Registration Officer is also appointed as Returning Officer-cum-Scrutinizing Officer under the Provisions of rule 5 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 1970 for the above mentioned Municipal ward.

Sl. No.	Name, Designation and Address of the previous Officer appointed as Electoral Registration Officer and Returning Officer-cum-Scrutinizing Officers	Name, Designation and Address of the Officer substituted and appointed as Electoral Registration Officer and Returning Officer-cum-Scrutinizing Officers in place of the officer shown in col. 2.	No. and Name of the Ward of the Municipal Corporation of Delhi
1	2	3	4
1.	Sh. R. T. L. D'souza, Dy. Secretary (Environment) Department of Environment, 6th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi. Ph. No. : 23392108 (Off.)	Sh. P. C. Chaturvedi Dy. Commissioner (Transport) Deptt. of Transport, 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054 Ph. No. : 23933829, 23980166	20-Subhash Nagar

S. P. MARWAH, Commissioner

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2006

सं. फा. 54(4)/94-डीएसडब्ल्यू/पीएलजी/17496-506.—दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. 54 (ए-16)/74-डीएसडब्ल्यू/पीएलजी दिनांक 2-11-1975 द्वारा प्रकाशित एवं समय-समय पर संशोधित दिल्ली प्रशासन वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 1975 में दिल्ली के उपराज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

नियम 10 (ii) का संशोधन

कथित नियमावली के नियम 10 (ii) में शब्दों और अंकों में रुपए "350" को शब्दों और अंकों को "रुपए 400" में बदला गया है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक 1-4-2006 से प्रभावी होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. नरेन्द्र कुमार, सचिव एवं निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2006

No. F. 54(4)/94-DSW/PLG/17496-506.—The Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following amendment in Delhi Administration Old Age Assistance Rules, 1975 as amended from time to time and published in the Delhi Gazette *vide* Notification No. 54(A-16)/74-DSW/Plg. dated 2-11-1975.

Amendment to Rule 10 (ii)

In rule 10 (ii) of the said Rules for the words and figures "Rs. 350" the words and figures "Rs. 400" shall be substituted.

The above amendment shall be effective from 1-4-2006.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

G. NARENDRA KUMAR, Secy.-cum-Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.